



2026:AHC:171150-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या - 23965/2026

शारदा प्रसाद एवं 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रत्युत्तरदाता(गण)

एवं एक अन्य वाद सम्बद्ध

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : जया तिवारी, रमेश राय, सुधीर कुमार चंद्रौल
प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता : राजीव द्विवेदी, अनुज कुमार, बी.पी. पांडेय, सी.एस.सी.,
जया तिवारी, राजेश मिश्र

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति श्री अजीत कुमार
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गरिमा प्रसाद

विषय : रिट - सी संख्या - 71557 वर्ष 2010 में दाखिल सिविल प्रकीर्ण प्रतिस्थापन आवेदन पत्र

प्रतिस्थापन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

भोंदवा के विधिक उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लाया जाए।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे भोंदवा के प्राकृतिक उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों को आज ही प्रतिस्थापित करें।

याचिका पर आदेश

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता सुश्री जया तिवारी एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव द्विवेदी को सुना।

ये दोनों याचिकाएं केवल एक ही विवाद से संबंधित हैं कि क्या याचिकाकर्तागण शारदा प्रसाद पुत्र सतनवा, भुल्लू पुत्र दयाराम और जगेश्वर पुत्र दयाराम भूमि पर खेती करने के अधिकारी हैं, जबकि भोंदवा पुत्र स्वर्गीय अधरवा और अब उनके उत्तराधिकारी, पुनरीक्षण संख्या 245/195 वर्ष 2009-10 में अपर आयुक्त-प्रथम, चित्रकूट धाम मंडल, बांदा द्वारा पारित प्रति-प्रेषण (रिमांड)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आदेश दिनांक 22 जुलाई, 2010 के अनुक्रम में, भूतपूर्व उ.प्र. जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (उ.प्र.ज़ेड.ए. एण्ड एल.आर. एक्ट) की धारा 229-बी के अंतर्गत योजित स्वत्व घोषणा के वाद का प्रतिवाद कर रहे हैं।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि कृषि भूमि प्लॉट संख्या 7/2 रकबा 12 बिस्वा, प्लॉट संख्या 8 रकबा 4 बिस्वा, प्लॉट संख्या 27/2 रकबा 1 बीघा, प्लॉट संख्या 28/1 रकबा 12 बिस्वा, प्लॉट संख्या 29 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा और प्लॉट संख्या 32 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, कुल 6 प्लॉट जिनका कुल क्षेत्रफल 9 बीघा 10 बिस्वा अर्थात् 1.707 हेक्टेयर है, के संबंध में स्वत्व का दावा करते हुए रिट - सी संख्या 23965 वर्ष 2026 के याचिकाकर्तागण द्वारा एक वाद योजित किया गया था। दयाराम और शारदा प्रसाद का प्रतिनिधित्व अब दयाराम और शारदा प्रसाद के उत्तराधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जो भौंदवा द्वारा योजित रिट याचिका संख्या 71557 वर्ष 2010 में विपक्षी हैं। रिट - सी संख्या 23965 वर्ष 2026 के याचिकाकर्तागण प्रथम दृष्टया न्यायालय अर्थात् उप-खंड मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निर्णय एवं आदेश दिनांक 30 जुलाई, 2003 के माध्यम से स्वत्व घोषणा की डिक्री प्राप्त करने में सफल रहे थे। जिसके विरुद्ध पुनर्विचार (रिव्यू) आवेदन योजित किया गया था, जिसे आदेश दिनांक 23 मई, 2007 और 7 दिसंबर, 2009 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था। अपर आयुक्त, चित्रकूट धाम मंडल, बांदा के समक्ष योजित पुनरीक्षण संख्या 245/195 वर्ष 2009-10 को आदेश दिनांक 22 जुलाई, 2010 के माध्यम से विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए और नए सिरे से निर्णय के लिए प्रकरण को प्रति-प्रेषित करते हुए स्वीकार कर लिया गया था।

कथित आदेश को स्वर्गीय दयाराम और शारदा प्रसाद द्वारा राजस्व परिषद (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) के समक्ष चुनौती दी गई थी और राजस्व परिषद ने निर्णय एवं आदेश दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा प्रति-प्रेषण के आदेश को अपास्त कर दिया था, जिसके विरुद्ध रिट याचिका संख्या 71557 वर्ष 2010 योजित की गई थी, जिसमें एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था कि दिनांक 20 अगस्त, 2010 के आदेश अर्थात् प्रति-प्रेषण आदेश का प्रभाव और प्रचालन स्थगित रहेगा। राजस्व परिषद के आदेश दिनांक 20 अगस्त, 2010 के ऊपर स्थगन आदेश होने से अपर आयुक्त द्वारा पारित प्रति-प्रेषण का आदेश पुनर्जीवित हो गया और इस प्रकार उप-खंड मजिस्ट्रेट

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के स्तर पर विचारण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो गई। यद्यपि, इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रश्नगत ग्राम को उ.प्र. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया और इसलिए, धारा 5 के अंतर्गत समाविष्ट जनादेश के दृष्टिगत, प्रश्नगत भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय सहित किसी भी अन्य न्यायालय में लंबित कार्यवाहियां उपशमित हो जाती हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि विपक्षी भोंदवा के उत्तराधिकारियों ने आधार वर्ष प्रविष्टि पर विवाद करते हुए जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 9-क के अंतर्गत पहले ही एक आपत्ति योजित कर दी है, और इसलिए, जब तक उक्त आपत्ति का निर्णय उनके पक्ष में नहीं हो जाता, तब तक भोंदवा याचिकाकर्ता को उन कृषि जोतों पर कृषि गतिविधियां संचालित करने से नहीं रोक सकते जिन पर वर्तमान याचिकाकर्तागण का नाम अभिलेख पर अंकित है।

एक स्पष्ट प्रश्न पूछे जाने पर, विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता उ.प्र. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 4 के साथ पठित धारा 5 के विधिक प्रभाव के संबंध में कोई विवाद नहीं कर सके कि यदि भूमि ऐसे ग्राम में स्थित है जो चकबंदी के उद्देश्यों के लिए धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित हो चुका है, तो किसी भी न्यायालय में लंबित कार्यवाहियां उपशमित हो जाती हैं। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य का भी खंडन नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता राजेन्द्र प्रसाद और स्वर्गीय दयाराम के उत्तराधिकारी निरंतर अंकित चले आ रहे हैं और उनके नाम चकबंदी की आधार वर्ष की खतौनी में भी अंकित दिखाए गए हैं।

ऐसी परिस्थितियों में, इसलिए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि पूर्व उ.प्र.जेड.ए. एवं एल.आर. एक्ट की धारा 229-बी के अंतर्गत संस्थित वाद में उप-खंड मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित संपूर्ण कार्यवाहियां उपशमित हो चुकी हैं और परिणामस्वरूप हम उन कार्यवाहियों से उत्पन्न इस न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या 71557 वर्ष 2010 को निरस्त करते हैं और अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, तो वह समाप्त किया जाता है।

जहाँ तक रिट याचिका संख्या 23965 वर्ष 2026 का संबंध है, हम इस याचिका को चकबंदी अधिकारी को यह निर्देश देते हुए निस्तारित करते हैं कि वे उ.प्र. जोत चकबंदी अधिनियम,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1953 की धारा 9-क के अंतर्गत विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण उ.प्र. जोत चकबंदी नियम, 1954 और चकबंदी नियमावली (मैनुअल) के साथ पठित उ.प्र. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार तथा विधि अनुसार संचालित करें।

पक्षकारों के पास धारा 9-क के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उच्चतर मंच के समक्ष अपना उचित उपचार उपलब्ध रहेगा। यद्यपि, जब तक चकबंदी अधिकारी द्वारा कार्यवाहियां संपन्न नहीं हो जाती हैं, तब तक हम यह निर्देशित करते हैं कि आधार वर्ष की प्रविष्टि रखने वाले अंकित भूमिधर (काश्तकार) को यहाँ ऊपर संदर्भित भूमि पर कृषि गतिविधि करने की अनुमति दी जाएगी। प्रश्नगत भूमि पर कृषि अधिकारों के संबंध में निरंतरता और संबंधित पक्षकारों द्वारा स्वत्व का दावा चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा, जो निश्चित रूप से जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की योजना के अनुसार अपील या पुनरीक्षण में पारित आदेश के अधीन होगा।

(न्यायमूर्ति सुश्री गरिमा प्रसाद) (न्यायमूर्ति श्री अजीत कुमार)

12 अगस्त, 2026

आत्मेश